

सं०-का/254/12/ससाप्र/ग्रुप-बी/30 प्रतिशत चयन/2019 (I)

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सा०/गोरखपुर।
2. प्रमुसाप्र/मुसाप्र/सा०/मुसाप्र (निर्माण)/मुसाप्र(ई) मुप्रधि/निर्माण गोरखपुर।
3. सकाधि/मंकाधि/उपमुसाप्र/डिपो, गोरखपुर एवं इज्जतनगर कारखाना।
4. मंरेप्र/वमंकाधि/वमंसाप्र/मसाप्र/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी। मंसाप्र/गोण्डा।
5. वकाधि/मु०/यॉ०का०/डिपो/निर्माण/गोरखपुर।
6. सहायक सर्तकता अधिकारी/गोरखपुर। एएम.पी.एस/रेलवे प्रेस/गोरखपुर।
7. उपमुसाप्र/ईएसटी, कै.एण्डबै., विक्रय, आईसी, डिपो, सा०/गोरखपुर।
8. सचिव/रेलवे बोर्ड, निदेशक सर्तकता/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
9. महाप्रबन्धक/प्रमुसाप्र/मुकाधि/वउमप्र/सीपीएम/आरई/इलाहीबाद, गोरखपुर, लखनऊ
8. उप मुकाधि/अराज, प्रधानाचार्य पर्यवेक्षक, प्रशिक्षण केन्द्र, /गोरखपुर
9. महाप्रबन्धक/रेलवे विद्युतीकरण/इलाहाबाद, अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर।
10. जनरल सेक्रेटरी प्रमोटी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
11. रेलवे बेवसाइड हेतु।

विषय:- ससाप्र, ग्रुप-बी, 30 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध होने वाले चयन के सम्बन्ध में।

1. 30 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध ससिद्ध, ग्रुप-बी के पद पर पदोन्नति हेतु कुल 01(एक) रिक्ती (01 सा०) के विरुद्ध नामिका बनाने के लिए (एल डी सी ई) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लिखित परीक्षा का समय, तिथि व स्थान बाद में सूचित किया जायेगा। इस अधिसूचना को उपरोक्त परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए पूर्व सूचना के रूप में समझा जाय
2. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी)2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 के अनुसार उपरोक्त लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी :-

क. **प्री-क्वालिफाईंग लिखित परीक्षा**— उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अंको का बटवारा निम्नवत् होगा —

तकनीकी विषय	40 अंक
सामान्य ज्ञान तथा वैकल्पिक राजभाषा के प्रश्न	30 अंक
स्थापना एवं वित्त संबंधी नियम	30 अंक

उक्त लिखित परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्तियों के पॉच गुना के बराबर मेन लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ख- **मेन लिखित परीक्षा**— उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

3. इस सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्तें अनुलग्नक-अ के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न की जा रही हैं। कर्मचारी वेतनमान 9300-34800 + 4200 ग्रेड पे (लेवल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में दिनांक 01.11.2020 को 05 वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, विकल्प देने हेतु पात्र होंगे। अधिसूचना के साथ संलग्न किये गये अनुलग्नक-अ में प्रस्तावित परीक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण भी दिया गया है।

23.10.20

2/-

4ए. ऐसे ग्रुप-सी कर्मचारी जो कि उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के 30 प्रतिशत चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, अनुलग्नक-ब के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को दिनांक 17.11.2020 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। अभ्यर्थी सभी कालम को पूर्णरूप से सही-सही भरे, नियंत्रक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र में भी सभी प्रविष्टियों को प्रमाणित करने का कष्ट करें। नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से जाँच किए हुए आवेदन पत्र संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा भी जाँच कराकर दिनांक 27.11.2020 तक उपमुकाधि/राज0 को अवश्य अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवेल-6) में नियुक्ति की नियमित तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

4बी. कृपया अनावश्यक पत्राचार और विलम्ब से बचने के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रसारित करना चाहिए जिन्होंने उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूर्णरूप से भरा है तथा छठे एवं सातवें वेतन आयोग वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवेल-6) में दिनांक 01.11.2019 तक 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। यह पाँच वर्ष की सेवा अप्रैन्टिस अवधि जोड़कर मानी जायेगी। अपूर्ण तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाले आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

5. लिखित परीक्षा अनुलग्नक-स के रूप में संलग्न पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। संलग्न पाठ्यक्रम की प्रति नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को अवश्य परिचारित (सरकुलेट) कर दी जानी चाहिए।

6. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या हिन्दी/1/ओ एल/14/12 दिनांक 14.01.2002 एवं पत्र संख्या हिन्दी-94/रा. भा-1/10/8 दिनांक 25.01.96 एवं 14.06.96 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे। परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे। यदि व्यावसायिक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तो राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न 10 अंक का होगा। राजभाषा के प्रश्न केवल प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में होंगे।

7. नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो या स्थानान्तरित कर दिया गया हो तो 30प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँच व सत्यापित कर उपमुकाधि/राज को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय।

8. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाय।

9. कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवेल-6) में नियमित नियुक्ति की तिथि का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाना चाहिए।

संलग्नक/अनुलग्नक-अ, ब एवं स (पाठ्यक्रम)

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुसाप्र/ई एवं उपमुसाप्र/आईसी/गोरखपुर- प्रमुसाप्र महोदय ने आपको उक्त चयन में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किये हैं अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त की सूचना सभी सम्बन्धी को दी जा चुकी है।
2. सचिव/प्रमुसाप्र/गोरखपुर।
3. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या0/गोरखपुर
3. रेलवे वेबसाईट प्रति।

(कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक)

सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त

अ- कर्मचारी दिनांक .01.11.2019 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) ग्रुप-सी में कर्मचारी जो पे बैंड पी वी-2 (9300-34800) ग्रेड पे रु0 4200 (लेवल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में पाँच वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, (जिसमें तदनुरूपी पूर्व संशोधित वेतनमान में की गयी Non fortuitous service सम्मिलित होगी) पात्र होंगे।

For Group-'B' selection (30% LDCE quota), Group-'C' employees working in pay band PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade pay of Rs.4200/- and above with 05 years of Non fortuitous service in the grade (including Non fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grades) will be eligible

दिनांक .01.11.2019 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) 05 वर्ष की Non fortuitous service मानी जायेगी।

ब- सभी अभ्यर्थी जो उपरोक्त (अ) में दी गयी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हो, वे इस प्रतियोगितात्मक परीक्षा की प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में किसी भी प्रतिबन्ध के बिना बैठने हेतु पात्र होंगे।

स- केवल ऐसे कोटियो (कैटैगरी) के कर्मचारी जो ससिद्ध ग्रुप-बी के सामान्य चयन नियमों के अन्तर्गत ग्रुप-बी में पदोन्नति के लिए पात्र हो वे एल डी सी ई (सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा) में भी सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

2. परीक्षा की योजना (स्कीम)

अ. यह सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा अभ्यर्थियों के व्यवसायिक योग्यता के सम्यक, व्यापक व पूर्ण ज्ञान के आकलन हेतु परीक्षण के रूप में आयोजित होगी। यह लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी।

1. प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा

2. मेन लिखित परीक्षा

उक्त दोनों लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ब- लिखित परीक्षा के लिए विषय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंको का विवरण निम्न होगा-

विषय	पूर्णांक	नोट
प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत जबाबों के नकारान्तम अंक होंगे। प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
मेन लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

मौखिक परीक्षा	अधिकतम अंक	योग्य पाये जाने हेतु कम से कम अंक
मौखिक परीक्षा	25	30अंक इन अंको में कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे।
सेवा अभिलेख	25	
	50	

23.12.20

अनुलग्नक-ब

महाप्रबन्धक/कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषय:- ससाप्र ग्रुप-बी, 30प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन।

संदर्भ:- आपका अधिसूचना सं. का/254/

(1) दिनांक .10.2020

.....

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मैं उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।, मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है-

1. नाम- (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- 1बी- पिता का नाम.....
2. पद
(कार्यालय एवं स्टेशन)
3. पदस्थापना स्थल-.....
4. नियंत्रक अधिकारी
5. जन्मतिथि
6. क्या अजा/अजजा समुदाय के हैं (स्पष्ट लिखें)
7. यदि आप आरक्षित समुदाय के हैं, तो क्या चयन के पूर्व कोचिंग करना चाहते हैं, या नहीं
8. शैक्षणिक योग्यता
9. सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति-
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि
10. मूल नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में नियमित सेवा का दिनांक
11. स्थानापन्न नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में जिस तिथि से नियमित सेवा में है-
12. अर्हता के सम्बन्ध में विवरण-
(अ) ग्रेड 5000-8000/9300-39800 +4200 ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि-
वर्ष.....माह.....दिन.....

.....2/-

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ/घोषणा सत्य है, यदि गलत पायी जायेगी तो मुझे उपरोक्त ग्रुप-बी पद से पदावनति किया जा सकता है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
पद.....
पी एफ नं.....
मो0नं0.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गयी उपरोक्त सेवा विवरण एवं घोषणा को जाँचा गया एवं सही पाया गया है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद स्टेशन..... मेरे अधीन कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के प्रत्येक कालम में की गयी प्रविष्टि संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँचा एवं प्रमाणित किया गया है। अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु पात्र है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदनाम स्टेशन के अन्तर्गत कार्यरत है। उसके आवेदन के प्रत्येक के सामने प्रविष्टि की गयी सूचना का संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच और सत्यापन कर लिया गया है।

दिनांक.....

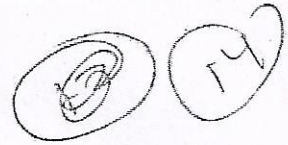
नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर)

बहुविवाह (एकाधिक) विवाह के सम्बन्ध में घोषणा

- क- मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।
ख- मैं अविवाहित/विधुर हूँ।
ग- मैंने अपने पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है।
माफी (छूट) की स्वीकृति हेतु आवेदन संलग्न है।

मैं शपथ पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण और घोषणा बिल्कुल सत्य है और मैं यह समझता हूँ कि मेरी पदोन्नति के उपरान्त उपर्युक्त घोषणा यदि असत्य पाई जाती है तो मुझे ग्रुप-बी की सेवा से पदावनति लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

आपका विश्वसनीय
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर



Syllabus for PAPER – I (Purchase Management)

- 1) Organization of Stores Dept. on Zonal Railway & Production Units
- 2) Objectives of Stores Dept. in brief
- 3) Functions of The Controller of Stores & other officers assisting him.
- 4) Cannons of Financial Propriety & its' application to Stores Matters
- 5) Delegation of Powers
 - i) Its need & necessary safeguards
 - ii) Powers of COS & other officers for:
(a) Purchase, (b) Sale, (c) Write off, (d) Other misc. matters
- 6) Purchase of Stores
 - i) Important Stages in purchase cycle
 - ii) Purchase Policy & Rules of IR
 - iii) Channels & procedures of purchase of indigenous stores
 - iv) Modes of tendering [including PAC purchase] & their limitations
 - v) Tender consideration:
 - (a) Price determination (Reasonability/Workability)
 - (b) Negotiations, Cartel Formation & related instructions
 - (c) Concept & constitution of Tender Committee
 - vi) Purchase of M&P/RSP items
 - vii) Emergency Purchases
 - viii) Basics of MMIS & e-Procurement
- 7) Purchase through Centralized agencies like:
 - i) Railway Board, COS of DLW, CLW, CORE etc.
- 8) Procedure of purchase from Govt. Dept. – GFR in brief
- 9) Govt. Policy of Preference
 - a) Purchase/Price Preference
 - i) Small scale industries
 - (1) Items reserved for procurement from SSIs (Gr. IV items)
 - b) Purchase Preference to Central PSUs
 - c) Special benefits available to NSIC firms, KVIC & Handloom Sector
- 10) Supply Contracts
 - i) Important provisions of Indian Contract Act & Sale of Goods Act
 - ii) IRS Conditions of Contract, DGS&D General Conditions of Contract
 - iii) "Force Majeure Clause"
 - iv) Rate/Running & Fixed quantity contracts
 - v) Special Conditions of Contract, followed by
 - (a) Railways, RB & DGS&D
 - vi) Procedure for tender opening
 - vii) Late & Delayed Offers, Un-solicited Offer
 - viii) EMD & SD
 - ix) PO Draft/Numbering Scheme & vetting considerations
 - x) Contract Management
 - (1) Extension of DD/Modification of PO
 - (2) Penalties for breach of contracts (LD, GD, RP)

- xi) Settlement of Disputes
 - (a) Arbitration Clause in IRS Conditions
 - (b) Arbitration & Conciliation Act 1996
 - (c) Dispute resolution between two Govt. Deptt. or (CPSU)
- 11) Fabrication Contracts: Important conditions & safeguards
- 12) Import of Material
 - i) Direct import by Zonal Railways/Production Units
 - ii) Import through Railway Board
 - iii) Types of Import Contracts
 - (a) FOB, FAS, CIF & FOR
 - iv) Modes of Payment, Letter of Credit & its types
 - v) Sea & Air freighting of Railway Materials & Insurance Covers
 - vi) Port clearance of imported consignments
 - vii) Claims settlement
- 13) Concept of Strategic Sourcing (Rational Source Selection)
 - a) Registration of firms on Railways as approved suppliers
 - b) Vendor performance evaluation: Vendor rating: Penal Action against vendors. Alternatives available with Railways, PUs
 - c) Registration by RDSO
 - d) Supply chain concept – relevance to Railways especially PUs
- 14) Important Statistics on Stores matters
 - a) Submitted to Railway Board, periodically
 - b) Included in Railway Board's annual report & GM's Narrative Report
 - c) Yard sticks to measure efficiency of Stores Dept.
- 15) Printing & supply of:
 - a) Railway Card Tickets, SPT Tickets, Money Value Forms
 - b) Other Books & Forms for use on Railways
- 16) Supply of uniforms to Railway Staff:
 - a) Eligibility, (b) Periodicity of supply, (c) Working of Clothing Factory & Handicraft Centers
- 17) Stores Budget
 - a) Compilation & various review/amendments to the budget during the financial year
 - b) Controls to adhere to the budget provisions, Exchequer control
 - c) Control over stores expenditure to minimize working expenses
 - d) Purchase Grant
 - e) Zero Base Budgeting (ZBB)
- 18) ISO Certification:
 - i) Procedure for obtaining the certification & subsequent compliance for continuation of the same;
 - (a) For Purchase Office, (b) For stores depot

XXX

(19) General Knowledge

(a) Official Language

a – official language Act 1963

(b) official language Rules - 1976

Syllabus for PAPER-II (Depot Management)

1) STORES DEPOITS

- a) Location
- b) Functions
- c) Typical Layout of a stores depot

2) Design Aspects of a Typical Stores Depot/Warehouse:

- a) Important parameters to be considered for design
- b) Space Management
 - i) Buildings, Yards, Roads
 - ii) Various types of storage arrangements
- c) Materials Handling
 - i) Equipments
 - ii) Unit piling, container/pallet systems
 - iii) Vertical storage system
- d) Important Fire Safety aspects & Latest fire fighting Techniques
- e) Security Arrangements to prevent, & action called for by the Depot Officer in case of incidence of, the following:
 - i) Theft
 - ii) Pilferage
 - iii) Misappropriation
- f) Procedure for locking & sealing of wards/go-downs in a depot and depositing/collecting the keys
- g) Gate Pass

3) Depot Organization

- a) Functions/Responsibilities of Depot Officer & Subordinate Staff
- b) Various sections of stores depot, its functions & working procedures

4) Receipt & accountal of materials:

- a) Procedure for receipt & accountal, in a depot
- b) Consequent clearance of purchase suspense
- c) Accounts checks on suppliers' bills

5) Inspection of Stores

- a) Inspection Techniques
- b) Various Agencies for Inspection of Railway Materials.
- c) Acceptance of material against WTC
- d) Inspection at firm's premises & Inspection at Depot
- e) Rejection of pre-inspected materials and procedure for joint inspection
- f) Disposal of rejected materials

6) Sampling for Inspection:

- a) Sampling Methods
- b) Indian Standards relating to Sampling

- 7) Testing Methods of common materials used by Railways like Steel, Rubber, PVC Items, Cloth, Rexin, Oils, Paints, Non-ferrous items.
- 8) Receipt & Issue of Stores:
 - a) Procedure for accountal of receipt from attached W/shops & debiting the W/shop for stores issued to them
 - b) Procedure of issue of materials from stores depot to consumers other than attached workshops & debiting the indentors for stores issued
- 9) Procedure of receipt & issue of serviceable items
- 10) Properties & Preservation of stores such as:
 - a) Rubber Items, Timber, chemicals, explosive /inflammable items
- 11) Shop Manufactured Items:
 - a) System of recoupment of items manufactured in workshops.
 - b) Different types of manufacturing processes in workshops
- 12) Imprest Stores
 - a) Procedure for issue & supply through stores delivery vans
- 13) Returned Stores:
 - a) Its receipt & accountal in the depot
 - b) Valuation of returned stores
 - c) Monthly Credit Summaries
- 14) Sale of Railway Materials:
 - a) SAG Committee Recommendations
 - b) Survey Committee & its functions for various categories of stores
 - c) Procedure for condemnation of an asset (M&P items including Motor Vehicle)
 - d) Procedure for sale by tender
 - e) Procedure for disposal of scrap by auction sale
 - f) General & Special conditions of sale
 - g) Reclamation of scrap
 - h) Sale Suspense
- 15) Purchase by Depot Officers
 - a) Purchase Powers- Local & Cash Purchases
 - b) Procedure for recoupment of cash imprest
- 16) Important Components & its usages:
 - a) In carriages, wagons, diesel loco, electric loco & DMU/EMUs
- 17) Dispatch of Railway Materials:
 - a) By Rail, Road
 - b) By Sea & Air

- c) Safeguards against loss/damage in transit
- d) Settlement of claims with carriers
- 18) Inter-depot transfers & Clearance of SINT suspense

- 19) Stock Verification
 - a) By Accounts, (b) Departmental, c) Disposal of Stock Sheets

- 20) Classification of Heads of Accounting & Various Suspense Heads relating to Stores

- 21) Stores Computerization: Exception reports & action documents

- 22) Codification:
 - i) Stores nomenclature & price lists (Unified & Non-unified)
 - ii) Unified Vendor Code, iii) Consignee Code, iv) Advantages of codification

- 23) Standardization & Variety reduction

- 24) Provisioning & Recoupment of Stores

- a) Maxima Minima Method (Q System)
- b) Annual Review Method (P System)
- c) Main Depot-Sub depot arrangement
- d) Economic Order Quantity (EOQ)
- e) Lead time & Safety/Buffer Stock
- f) Computerized forecast of demand/consumption for stock-recoupment (Generation of Estimate Sheet)
- g) Various forecasting statistical techniques

- 25) Inventory Management

- a) Types of inventories
- b) Various Inventory models;
 - i) The Basic (EOQ) Model: Constant Demand & Lead Time
 - ii) Variable Demand but constant Lead Time
 - iii) JIT Inventory Model
- c) Computer as an aid to inventory control & inventory management
- d) Periodical prints from computer & its' use for inventory control
- e) Selective Control Techniques;
 - i) ABC, VED, FSN & XYZ analysis for inventory control & improvement service levels
 - ii) Related multi-criteria matrix.
- f) Inventory performance indices on IR
- g) Over stock, Inactive & Surplus Stores
 - i) Definitions, ii) Reasons for accrual & its disposal, iii) Steps for prevention

- 26) Computerized Price Ledgers

- a) Preparation of Price Ledgers: Role of Stores Depot

(12)

- b) Book Average rates
- c) Debiting the indentors for cost of materials issued & preparation of Debit Summaries

27) Audit:

- a) Narrative Reports, Special Letters, Factual Statements, Draft Paras & its disposal

28) Accounts:

- a) Accounts Objections, Special Reports, Stock Sheets, Inspection Reports Pt I & II

29) M&P, RSP and Works Program

30) Official Language:

- a. Official Language Act, 1963
- b. Official Language Rules, 1976

Establishment &
Financial Rules.

XXX